न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2022 (उदयपुर आर्डर)

1. नन्दलाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
2. लोकेश पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
3. हीरालाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
4. श्रीमती धुलीबाई पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
5. श्रीमती गंगा पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
6. श्रीमती जमना पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
7. श्रीमती मोनिका पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी जोशी ब्राहमण,निवासी भलावतों का खेड़ा,तहसील नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द्र पिता मदनलाल जी माहेश्वरी (काबरा), निवासी श्रीनाथ सदन, टयुरिस्ट बंगला के पास, लालबाग, नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा,जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अधि.
1955 विरूद्ध निर्णयसहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),नाथद्वारादिनांक
02–05–2022 प्रकरणसंख्या8/2018
———::———

उपस्थित :– 1–श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2–श्री मयंक पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णयदिनांक31–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2सपठित धारा [illegible] सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम भलावतों [illegible] रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भंवरलाल के नाम दर्ज थी, विपक्षी संख्या 1 ने नाम विक्रय पत्र दिनांक 25–03–2003 के आधार पर भूमि दर्ज हुई है, परन्तु विपक्षी संख्या 1 का उक्त आराजी पर आधिपत्य नहीं है। प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को विक्रय नहीं की, बल्कि आराजी नंबर 454 विक्रय की, जिसका विवरण विक्रय पत्र के पेज संख्या 3 की कलम संख्या 2 में है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भंवरलाल जी अनपढ़ होने का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने आराजी नंबर 398 विक्रय पत्र में अंकित करवा लिया। अतः विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी नंबर 398 में प्रवेश नहीं करें, प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 1 जेसीबी लगाकर तोड़–फोड़ नहीं करें व कोई खुदाई नहीं करावें।

विपक्षी संख्या 1 खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि उसने दिनांक 25–03–2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी नंबर 398 पर कोट भी बना रखी है। प्रार्थीगण ने बेबुनियाद व मनगढ़न्त तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकरदिनांक 02–05–2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–07–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मयंक पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया किअधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी भंवरलाल द्वारा आराजी नंबर 454 विक्रय की गयी है तथा उसी का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है तथा उसकी विक्रय पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested

पेज संख्या 3 की कलम संख्या 2 में स्पष्ट वर्णन है कि रेस्पोन्डेन्ट की जमीन उपरोक्त जमीन से सटमा होने से उपरोक्त आराजी मिलने से उसकी आराजी बड़ी हो जायेगी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करने हुए यह माना है कि विवादित आराजी नंबर 398 विपक्षी के नाम दर्ज होकर उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि अपीलान्ट के पिता भंवरलाल ने उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को आराजी नंबर 398 विक्रय नहीं की, बल्कि आराजी नंबर 454 विक्रय की, जिसका विवरण विक्रय पत्र की कलम संख्या 2 में है, इस बिन्दु को भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट कर दिया है कि आराजी नंबर 398 के सटमा आराजी नंबर 404 भी है, जो जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। हमारे समक्ष भी अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्टगणके पिता द्वारा आराजी नंबर 398 के बजाय आराजी नंबर 454 का विक्रय किया गया हो।ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–05–2022यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested